



Neutral Citation No. - 2026:AHC:128429

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या - 19690 / 2026

रोहित राजपूत

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : दीपक सिंह, दीक्षा दुग्गल

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 46

माननीय न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद

1. आवेदक के अधिवक्ता और राज्य की ओर से ए.जी.ए. के तर्कों को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया गया।

2. यह ज़मानत आवेदन, मुकदमा अपराध सं. 448/2025, बी.एन.एस. की धारा-103(1), 126(2), 115(2), 352 के अंतर्गत, थाना-रावतपुर, ज़िला-कानपुर नगर से उत्पन्न सत्र विचारण सं.557/2026 है, में विचारण के लंबित रहने के दौरान आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।

3. आवेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, मृतक के पिता ने एफ.आई.आर. दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनका बेटा (लकी) अपने दोस्त रिशु के साथ मोटरसाइकिल से जा रहा था, लेकिन आवेदक और अन्य सह-आरोपियों ने उन्हें रास्ते में रोक लिया और मृतक व रिशु की पिटाई शुरू कर दी। रिशु किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा और सूचनाकर्ता को सूचना दी। मौके पर पहुँचने पर सूचनाकर्ता ने मृतक को बेहोश पाया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



वह तुरंत उसे अस्पताल ले गए। बाद में अस्पताल में उनके बेटे की मौत हो गई। आगे यह भी कहा गया है कि ऐसा कोई आरोप नहीं है कि आवेदक या अन्य सह-आरोपियों ने किसी हथियार से मृतक पर हमला किया था; यह मामला सिर्फ मुक्कों से मारने और हाथापाई का था। मृतक के पोस्टमार्टम से पता चलता है कि उसके शरीर पर लगी चोटें मौत का कारण बनने के लिए काफी नहीं थीं। इसलिए, मौत का कारण पता नहीं चल सका; असल में मृतक की मौत अस्पताल में हार्ट अटैक या किसी अन्य कारण से हुई और आवेदक को झूठे मामले में फँसाया गया है। यह भी कहा गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। साथ ही, इस मामले में आरोप-पत्र दाखिल की जा चुकी है, इसलिए अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की कोई ज़रूरत नहीं है। आवेदक कानून का पालन करने वाला नागरिक है और 9.11.2025 से कारागार में निरुद्ध है। अगर उसे ज़मानत दी जाती है, तो वह ज़मानत की स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. आवेदक के अधिवक्ता ने अन्त में यह तर्क दिया कि सह-आरोपी मोहित कुमार, जिसकी भूमिका भी वैसी ही थी, उसे इस न्यायालय ने आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन सं. 15584/2026 में 14.5.2026 के आदेश के तहत पहले ही ज़मानत दे दी है।

5. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने ज़मानत की आवेदन का ज़ोरदार विरोध किया, लेकिन ऊपर बताए गए तथ्यों को नकार नहीं सके।

6. प्रकरण के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, दोनों पक्षों के अधिवक्तागण की दलीलों, अपराध की प्रकृति, सबूतों, अभियुक्त की संलिप्तता, जेलों में भीड़ और विचारण न्यायालय में लंबित आपराधिक मामलों की भारी संख्या को ध्यान में रखते हुए; साथ ही **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो** (2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 3038) में प्रतिवेदित के वाद में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** (2024 एस.सी.सी. ऑनलाइन इला 6765) में प्रतिवेदित के वाद में ज़मानत देने के संबंध में इस न्यायालय की दिशा-निर्देश को ध्यान में रखते हुए, और वाद के गुण-दोष पर कोई राय ज़ाहिर किए बिना, मेरी राय है कि आवेदक ज़मानत पाने का हकदार है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



7. पूर्वोक्त अपराध में शामिल आवेदक- रोहित राजपूत को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो प्रतिभू प्रत्येक प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

i. आवेदक प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को प्रकट करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

ii. आवेदक बिना कोई स्थगन मांगे ईमानदारी से विचारण/विवेचना में सहयोग करेगा।

iii. आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि या कोई अपराध कारित करने में लिप्त नहीं होगा।

iv. आवेदक अपने द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

8. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

9. बंधपत्रों को स्वीकार करने से पूर्व संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और प्रतिभूओं की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाए।

10. संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक के साथ-साथ प्रतिभूओं के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का सत्यापन किया जाना चाहिए।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई और संबंधित अधिवक्ता द्वारा सत्यापित इस आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति के आधार पर जमानत पर रिहा किया जाएगा, इस वचन के साथ कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल की जाएगी।

12. यह आगे निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए बेल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित कारागार को रिहाई आदेश भेजे।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



13. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह जमानत देने संबंधी नीतिगत रणनीति, संदर्भ में: स्वप्रेरणा रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4 वर्ष 2021 निर्णीत दिनांक 31.01.2023 (2024) 10 एस.सी.सी. 685 में प्रतिवेदित के वाद में शीर्ष न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 24 घंटे के भीतर ई-मेल या ई-प्रिजन पोर्टल के माध्यम से संबंधित कारागार अधीक्षक के जरिए आवेदक को इस आदेश की एक प्रति भेजे।

(न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद)

19 जून, 2026

राकेश

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”